(171)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–977–दो / 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–02–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–17 / अपील / 2003–04

.....

1– परदेशी उर्फ कृष्णा तनय श्री पूरन कोरी
2– रामेश्वर तनय श्री पूरन कोरी
3– परमेश्वर कोरी(मृतक) वारिसान–
   1. ज्ञानबाई पत्नी स्व0 परमेश्वर कोरी
   2. कमला पुत्री स्व0 परमेश्वर कोरी
   3. आरती पुत्री स्व0 परमेश्वर कोरी
   4. त्रिवेणी पुत्री स्व0 परमेश्वर कोरी
   5. उमाभारती पुत्री स्व0 परमेश्वर कोरी
   6. आशाबाई पुत्री स्व0 परमेश्वर कोरी
   7. राम सुजान तनय स्व0 परमेश्वर कोरी
   8. दीपक तनय स्व0 स्व0 परमेश्वर कोरी
   2 व 8 नाबलिक जरिये बली मॉ मुस ज्ञानबाई पत्नी स्व0 श्री परमेश्वर कोरी
4– रामदीन तनय श्री पूरन कोरी
निवासीगण–मौजा घनवाराथाना अमदरा तहसील मैहर जिला–सतना(म0प्र0)

--------आवेदकगण

विरूद्ध

मुस0 ममता बाई पत्नी श्री रज्जन बढ़ई
मौजा घुनवाराथाना अमदरा तहसील मैहर
जिला–सतना(म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री अरूण सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अखिलेश सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका ममजा बाई द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131, 132 के तहत रास्ता अवरोध हटाये जाने बावत आवेदन पत्र नायब तहसीलदार घुनवारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार ने अपने प्रकरण क्रमांक 14/अ–70/1998–99 में दिनांक 31.05.2003 से अवरूद्ध हटाये जाने के आदेश दिये । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी मैहर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 85/अपील/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2003 से नायब तहसीलदार के आदेश को विधिसंगत मानते हुये स्थिर रखा है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । जहॉ पर अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 17/अपील/2003–04 पर पंजीबद्ध कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन मानते दिनांक 17–02–2006 से अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकों ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायलयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका ने तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131–132 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ।

तहसील न्यायालय ने विचारोपरांत अनावेदिका का आवेदन स्वीकार किया तथा उक्त विवादित रास्ते से अवरूद्ध हटाये जाने का आदेश दिया। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131–132 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण तथा उक्त भूमि मध्यप्रदेश शासन की आबादी की भूमि है, जिसमें सार्वजनिक रास्ता है और इस रास्ते में अवरूद्ध उत्पन्न हो रहा है तो संहिता की धारा 131–132 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होना है कि अनावेदिका के पास मौजूदा रास्ता के अलावा वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं है। इस बात की पुष्टि राजस्व निरीक्षक एवं साक्ष्यों से भी प्रमाणित होता है। इसी कारण तहसील न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने न्यायसंगत माना है और अपर आयुक्त रीवा ने पूर्ण विवेचना कर अपने आदेश दिनांक 17–02–2006 में इसकी पुष्टि की है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,